15.12.12 पत्रावली के नकल उपस्थित / अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रखा / दीपा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कोई तकनीकी पत्रावलि उपलब्ध होने के उपरान्त भी प्रकरण नहीं लिये / पत्रावली के नकल के लिए प्रार्थी द्वारा, जो न्यायालय हित में विचार करना आगे कोई आदेश किसका देय नहीं होने / पत्रावली नहीं 9.3.13 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

03/03/16 प्रार्थी के नकल उपनियम 21 के नकल उपनियम 22 व 23 के नकल उपनियम अधोहस्ताक्षरकर्ता को तलबी हेतु नकल प्रार्थी द्वारा पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र OSRTC के अनुसार क्रमपालना में आदेश किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner